उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–3
संख्या–1374 / चि0–3–18–आर0जी0–14 / 2017
लखनऊ : दिनांक : 07 सितम्बर, 2018

कार्यालय–आदेश

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु उत्तर प्रदेश मूल नियमावली के नियम–56 के खण्ड (ग) से (ड) में अवधारित कानूनी उपबन्धों के अधीन डा0 सत्य पाल सिंह (वरि0क0–11591, लेवल–3), परामर्शदाता (चर्म एवं रतिज रोग), जिला चिकित्सालय, पीलीभीत द्वारा दिनांक 30.10.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.2017 प्रस्तुत किया गया। डा0 सिंह के प्रत्यावेदन पर शासन द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त प्रदेश में पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में विशेषज्ञ चिकित्सकों की अत्यन्त कमी के दृष्टिगत उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया और शासन के आदेश दिनांक 08.9.2017 द्वारा उनका प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.2017 अस्वीकार कर दिया गया।

2– शासन द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने विषयक प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.2017 के अस्वीकार किये जाने के विरूद्व डा0 सत्यपाल सिंह द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद में रिट नोटिस संख्या–54349 / 2017, याचिका संख्या–57444 / 2017 डा0 सत्यपाल सिंह बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व 03 अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2018 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये :–

Heard Sri Yogesh Kumar, learned counsel for the petitioner and leaned Standing counsel for the respondents.

The respondents were given time on 1.12.2017 to file counter affidavit but till date no counter affidavit has been filed. Since the matter is covered by the earlier decision of the Division Bench of this Court and the facts are not disputed, we do not propose to grant any further time to the Standing counsel to the file counter affidavit.

The petitioner was working as a Medical Officer in the Provincial Medical Services. He submitted an application on 13.4.2017 for voluntary retirement. The request for voluntary retirment has been turned down by the impugned order dated 08.9.2017.

The submission of learnred consel for the petitioner is that the permission for vouluntary retirment has been refused only on the ground of shortage of doctors which is not a criteria in refusing such request.

In similar circumstances several writ petitions have been allowed by this court by different orders. One of the judgments is dated 29th November 2017

passed is case No. (S/B) 14939 of 2017 Dr. Achal Singh Vs. State of U.P and others and in connected petitions.

The Division Bench therein has held the Rule 56 (c)(d) of the U.P. Fundamental Rules does not provide for refusing the permission to retire a government employee on the ground of shortage.

It is also settled that the voluntary retirement comes into effect automatically, once the notice provide period stipulated in the application expires.

In view of the aforesaid facts and circumstances, the impugned order dated 08.9.2017 is unsustainable in law. It is hereby quashed with the direction to the respondents to treat the petitioner having voluntary retired w.e.f. today ie 10.1.2018.

The petition is allowed.

Order Date- 10.1.2018

3– उक्तानुक्रम में याची डा0 सिंह द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक 30.03.2018 उपलब्ध कराया गया था, जिसमें जब तक प्रार्थी स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति प्रदान करने का प्रकरण विचाराधीन है तब तक यथास्थिति में रखकर जिला चिकित्सालय में पूर्व पद पर कार्य की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। पुनः पत्र दिनांक 17.4.2018 द्वारा याची डा0 सिंह द्वारा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान समय एवं परिस्थितियों में प्रार्थी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का इच्छुक नहीं है एवं प्रार्थी जिला चिकित्सालय, पीलीभीत में अपनी सेवायें पहले की भॉति पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से देना चाहता है तथा सेवा में बनाये जाने जाने का अनुरोध किया गया।

4– इसी दौरान प्रदेश में चिकित्सकों की कमी होने के कारण मा0 न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का अनुपालन न करके मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिकाएं (सिविल अपील नं0–8421/2018 एवं सिविल अपील नं0–8422/2018, सिविल अपील नं0–8423/2018, तथा सिविल अपील नं0–8424/2018) योजित की गयीं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.08.2018 में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करने हेतु जारी किये गये निर्देशों एवं आदेशों को अपास्त कर दिया गया है और उ0प्र0 सरकार की इस बात को सही माना है कि फण्डामेंटल रूल नं0–56(ग) कि सेवा की आवश्यकता होने पर एवं चिकित्सकों की कमी होने पर वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करने से मना कर सकती है।

5– चूंकि रिट याचिका संख्या–57442/2017 डा0 सत्यपाल सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व 3 अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.01.2018, डा0 अचल सिंह की रिट याचिका संख्या–14939/2017 (एस0बी0) व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2017 पर आधारित है । डा0 अचल सिंह द्वारा योजित रिट याचिका संख्या–14939/2017 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2017 के विरूद्व मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–8421/2018 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21.08.2018 को निर्णय देते हुये मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.11.2017 को निरस्त कर दिया गया है।

6— अतः वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–56 (घ) के प्रतिबन्ध में वर्णित व्यवस्था के आलोक में डा0 सत्यपाल सिंह के सेवानिवृत्ति संबंधी प्रत्यावेदन दिनांक 13.04.2017 को वापस लेने की श्रीराज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा उपरोक्त वर्णित स्थिति एवं डा0 सत्यपाल सिंह के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त उनको चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करते हुए पूर्व तैनाती स्थल पीलीभीत में वरिष्ठ परामर्शदाता (चर्म एवं रतिज रोग) के पद पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

वी0 हेकाली झिमोमी
सचिव।

संख्या– 1374 (1)/ चि–3–2018–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1— महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2— महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन),चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
3— अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
4— अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, बरेली मण्डल, बरेली
5— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पीलीभीत।
6— कोषाधिकारी, पीलीभीत।
7— सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा–मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत)।
8— चिकित्सा अनुभाग–2/8
9— प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस निर्देश के साथ कि कृपया प्रश्नगत आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10— गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जे0 एल0 यादव)
अनु सचिव।